

(4 फरवरी, 1999)

सा.का.नि.66 (अ) -केन्द्रीय सरकार, संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999

1. संक्षिप्त नाम :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में:-

(i) "अधिनियम" से संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) अभिप्रेत है।

(ii) "मान्यता प्राप्त दल" और "मान्यता प्राप्त समूह" पदों का वही अर्थ है जो संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 2 में है।

¹[(iii) *** *** *** ***]

²[**3.टेलीफोन प्रसुविधाएं-** (1) मान्यताप्राप्त दल या समूह का प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक, दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित उसके कार्यालय या निवास में से किसी एक पर स्थापित एक टेलीफोन के स्थापन और किराये की बाबत कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और वह ऐसे नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के रूप में उसकी पदावधि के दौरान उस टेलीफोन से की गई किन्हीं कालों की बाबत, उसके ऐसे प्रमाणीकरण के अधीन रहते हुए कि कालें, उसके ऐसे नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी, कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

¹ 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ड) द्वारा प्रतिस्थापित।

² 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583(ड) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई प्रसुविधा उसे संसद सदस्य के रूप में आवासन और टेलीफोन प्रसुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अधीन अनुद्धेय टेलीफोन प्रसुविधाओं के अतिरिक्त होगी।]

4. सचिवीय प्रसुविधा:- किसी मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह का ³[प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक] प्रसुविधा का हकदार होगा:-

आशुलिपिक - एक

(8000 - 13500 रु के वेतनमान में निजी सचिव ग्रेड III)

5. प्रसुविधाओं का अस्थाई और सह-विस्तारी होना- इन नियमों के नियम 3 और नियम 4 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह के ⁴[नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक] के साथ अस्थाई और सह-विस्तारी होंगी।

⁵[**6. नियम 3 और नियम 4** के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं, यथास्थिति, ऐसे नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक को उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 की धारा 3 के परन्तुक में वर्णित हैं।]

³ 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ड) द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ड) द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ड) द्वारा अंतःस्थापित।